

प्रेषक,

राकेश कुमार सिंह- प्रथम,
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, फर्रुखाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

विषय: शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, लखनऊ दिनांकित 28-06-2024 के अनुक्रम में
पुरानी पेन्शन हेतु चयनित विकल्प के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के लिए
प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि मेरी नियुक्ति उ०प्र० न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 26.05.2006 के नियुक्ति आदेश नोटिफिकेशन संख्या-2430/II-4-06-32(1)/2001 टीसी 1 से हुई थी, तदुपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नोटिफिकेशन संख्या 981/DR(S)/2006 दिनांकित 13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक 15.06.2006 को जनपद फैजाबाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। इस न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति दिनांक 22.11.2003 को विज्ञप्ति संख्या ए-2/ई-1/2003 के माध्यम से हुआ था। शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, लखनऊ दिनांकित 28-06-2024 के अनुक्रम में मैं पुरानी पेन्शन योजना से आच्छादित होने का पात्र हूँ और पुरानी पेन्शन योजना में शामिल होने हेतु विकल्प दे रहा हूँ।

अतः माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि पुरानी पेन्शन योजना में सम्मिलित होने के मेरे इस विकल्प पत्र के आधार पर मुझे पुरानी पेन्शन योजना में शामिल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक: 22.07.2024

संलग्नक: पुरानी पेन्शन योजना में शामिल
करने हेतु विकल्प पत्र।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश
पत्रांक-1.0.9.9./XV दिनांक-22.07.2024

अग्रसारित
Vinay Kumar
जनपद न्यायाधीश
फर्रुखाबाद

भवदीय

(राकेश कुमार सिंह- I)

(J.O. CODE 6204)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,
फर्रुखाबाद।

पुरानी पेंशन योजना/नई पेंशन योजना का विकल्प पत्र

टिप्पणी: उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, लखनऊ दिनांकित 28-06-2024 के अनुक्रम में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प की व्यवस्था के अनुक्रम में विकल्प पत्र

- 1- नाम- राकेश कुमार सिंह - प्रथम (RAKESH KUMAR SINGH - FIRST)
- 2- पदनाम- विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद
- 3- वेतनमान- रु० 1,44,840/- 1,94,660/-
- 4- वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग
- 5- विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- नियुक्ति विभाग उ.प्र.शासन, लखनऊ (द्वारा उ.प्र.लोक सेवा आयोग प्रयागराज/इलाहाबाद)
- 6- विज्ञप्ति तिथि- दिनांक 22 नवम्बर, 2003 - ए-2/ई-1/2003
- 7- विज्ञप्ति के सापेक्ष में नियुक्ति की तिथि- 26 मई, 2006
- 8- विभाग में योगदान तिथि- 15-06-2006
- 9- जन्मतिथि - 14.06.1968
- 10- सेवानिवृत्ति तिथि- 30-06-2028

मैं राकेश कुमार सिंह - प्रथम पुत्र श्री काशी प्रसाद सिंह (SHRI KASHI PRASAD SINGH) पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाए।

हस्ताक्षर -

नाम- राकेश कुमार सिंह - प्रथम (J.O. CODE 6204)

पदनाम- विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

घोषणा-पत्र

मैं राकेश कुमार सिंह - प्रथम, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 09 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तिथि छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर -

नाम- राकेश कुमार सिंह - प्रथम (J.O. CODE 6204)

पदनाम- विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री राकेश कुमार सिंह - प्रथम, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/ सहमति प्रदान की जाती है।

(विनय कुमार-III)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

फर्रुखाबाद

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति